न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20/2017 **दायरा दिनांक : 16.01.2017**

उनवान

भंवरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— गंगाराम आत्मज उदयराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2— प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री तंवर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.04.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 63/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने एक वाद अर्न्तगत धारा 183, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम मरलावदा, तहसील पचपहाड की जमाबंदी संख्या 70 नयी पुरानी 62 के अनुसार खसरा नम्बर 580 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 584 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1426 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्ब्र 1427 रकबा 1 बीघा कुल 5 किता की 12 बीघा 6 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 580 व 585 रकबा 8 बीघा भूमि में से अपीलांट को 5 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 580 की पूर्वी दिशा की 1 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 585 की पूर्वी दिशा की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि काश्त करने के लिए दी थी लेकिन प्रतिवादी अपीलार्थी के द्वारा तीन साल तक पांति की आधी पैदावर दी तथा बाद में पैदावार देना बन्द कर दिया तथा उक्त दोनों नम्बरों की 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि से अपीलार्थी का नाजायज कब्जा हटाया जाकर मौके पर वास्तविक कब्जा दिलवाये जाने हेतु वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी गंगाराम का वाद स्वीकार कर खसरा नम्ब्र 580 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 585 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मरलरावदा, तहसील पचपहाड़ की पैमाईश तहसील पचपहाड एक टीम गठित कर करवावे वादी को सीमाज्ञान करवाया जावे यदि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 भंवरलाल का कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादी नम्बर 1 को बेदखल किया जावे, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से सुस्थापित नियमों के विरूद्ध जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें वादी के पिता की वल्दियत जाति व निवास स्थान ही भिन्न भिन्न दर्ज किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प के दौरान मात्र खानापूर्ति किये जाने के

उद्देश्य से यह निर्णय व डिक्री पारित की है । राजस्व कैम्प में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी उपस्थित हुआ लेकिन उसके समक्ष ना तो कोई निर्णय पारित किया गया और ना ही वादी की साक्ष्य ग्रहण कर उसे जिरह का कोई अवसर प्रदान किया गया । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा एक वाद संख्या 57/2014 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जो दिनांक 15.07.2016 को निर्णीत किया गया, जिसमें अपीलार्थी (वादीगण) को उपरोक्त आराजियात के 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर मौके व कब्जे के अनुसार बंटवारा करने व प्रतिवादी क्रम 1 यानि रेस्पोडेंट क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की डिक्री पारित की गई जो काबिले गौर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली में राजस्व लोक अदालत में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज है । अपीलांट अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने से वंचित रखा गया हो या जिससे उसका पक्ष सिद्ध होता हो । अतः निर्णय तर्क संगत है अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा